

प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनाँक 02.10.2021

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 03 बैटरी चोर गिरफ्तार व कब्जे से 03 अदद चोरी की बैटरी व एक कटर बरामद।

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना मुरादनगर के नेतृत्व में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 01.10.2021 की रात्रि को 03 बैटरी चोर 1. अरुण कुमार पुत्र केशव सिंह निवासी डी 289 गली नं0 11 महा लक्ष्मी इंकलेव करावल नगर थाना करवल नगर दिल्ली 2. अनीश पुत्र शरीफ निवासी बदरुदीन141/1 गली नं0 6 निकट दिलशाद मिस्जिद थाना दयालपुर दिल्ली 3. मौ0 आविद पुत्र मौ0 हनीफ नि0 गली नं0 5 बाबू नगर निकट पीएनवी बैंक थाना दयालपुर दिल्ली को सहिबस्वा स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 03 अदद चोरी की बैटरी व एक कटर बरामद किया गया तथा इनके 02 साथी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

- 1. अरुण कुमार पुत्र केशव सिंह निवासी डी 289 गली नं0 11 महा लक्ष्मी इंकलेव करावल नगर थाना करवल नगर दिल्ली
- 2. अनीश पुत्र शरीफ निवासी बदरुदीन141/1 गली नं0 6 निकट दिलशाद मस्जिद थाना दयालपुर दिल्ली
- 3. मौ0 आविद पुत्र मौ0 हनीफ नि0 गली नं0 5 बाबू नगर निकट पीएनवी बैंक थाना दयालपुर दिल्ली

<u>नाम पता फरार अभियुक्त-</u>

- 1. इरसाद पुत्र शमीम नि0 नूरगंज थाना मुराद नगर गा0वाद
- 2. शहनवाज उर्फ भूरा पुत्र अलीहसन नि0 हुदा मस्जिद के पास मौहल्ला नूरगंज थाना मुरादनगर गा0वाद

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 1004/21 धारा 411/414 भादवि थाना मुरादनगर गा0बाद



थाना कविनगर पुलिस द्वारा लूट के अभियोग का अनावरण करते हुए 02 वांछित अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूट मे प्रयुक्त अवैध असलाह व लूटे गये 2000 रुपये बरामद

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा लूट करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी किवनगर के कुशल निर्देशन में थाना किवनगर पुलिस टीम द्वारा चैिकंग के दौरान मुखिबर की सूचना पर अभियुक्त गण (1) शाहिल उर्फ नसरुद्दीन पुत्र स्व0 मौ0 सज्जाद निवासी नन्दग्राम आश्रम रोड दीनदयालपुरी गली नं0 16 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद (2) लिलत उर्फ अंकुर पुत्र विजेन्द्र निवासी म0नं0 56 थाने के पीछे नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद को आज दिनांक 02.10.21 को स्वदेशी कम्पाउन्ड के पास सर्विस रोड थाना क्षेत्र किवनगर से समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से थाना किवनगर के उपरोक्त मुकदमे मे लूटे गये नकद रुपये मे से 2000/- रुपये बरामद हुए एंव अभि0 लिलत उर्फ अंकित के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक तमंचा .12 बोर व जिन्दा कारतूस .12 बोर नाजायज बरामद हुआ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके द्वारा जनपद गाजियाबाद व आस पास के क्षेत्र मे मौका पाकर छीनैती जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। दिनांक 01.10.19 को वादी मुकदमा की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1631/21 धारा 392 भादिव पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त गण की पतारसी सुरागरसी करते हुए अभियुक्त गण उपरोक्त की गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) शाहिल उर्फ नसरुद्दीन पुत्र स्व0 मौ0 सज्जाद निवासी नन्दग्राम आश्रम रोड दीनदयालपुरी गली नं0 16 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
- (2) लिलत उर्फ अंकुर पुत्र विजेन्द्र निवासी म0नं0 56 थाने के पीछे नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष । आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहिल उर्फ नसरुद्दीन-
- 1-मु0अ0सं0 1631/21 धारा 392/411 भादिव थाना कविनगर गाजियाबाद। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ललित उर्फ अंकुर-

1-मु0अ0सं0 1631/21 धारा 392/411 भादिव थाना कविनगर गाजियाबाद। 2-मु0अ0सं0 1635/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। **बरामदगी का विवरण:**-

मु0अ0सं0 1631/21 से सम्बन्धित अभियुक्त शाहिल उर्फ नसरुद्दीन से 1000/- रुपये नगद। मु0अ0सं0 1631/21 से सम्बन्धित अभियुक्त ललित उर्फ अंकुर से 1000/- रुपये नगद। 01 तमंचा .12 बोर व एक जिन्दा कारत्स .12 बोर।



<u>थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 चाकू बरामद</u>

कार्यवाही:-जनपद गाजियाबाद व आस पास के जनपदो के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान विरेष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकेट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदया के कुशल नेतृत्व मे प्र0नि0 श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक 02-10-2021 को गस्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 01.30 बजे 150 फुटा रोड शौचालय की दाहिनी तरफ से अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 03 अदद चाकू बरामद किये गये।

अपराध कारित करने का तरीका:-अभियुक्तगण ने पूछताछ मे बताया कि वह चोरी करते है और चोरी के उद्देश्य से ही हम चाकू रखते है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

- 1.सागर पुत्र राकेश नि0 फ्लेंट नं0 116 विक्रम एन्कलेव साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
- 2.हर्ष पुत्र रामचन्द्र नि0 भौपुरा पैट्रोल पम्प के पास पप्पू कालौनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
- 3.मौ0 हुसैन पुत्र जाकिर नि0 गली न0 3 पप्पू कालौनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

अभियुक्तगण पर पंजीकृत अभियोगो का विवरणः-

1. सागर पुत्र राकेश नि0 फ्लेट नं0 116 विक्रम एन्कलेव साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष



- ।.मु०अ०सं० २००६/२१ धारा ४०१ भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद । ॥.मु०अ०सं० २००७/२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
- 2. हर्ष पुत्र रामचन्द्र नि0 भौपुरा पैट्रोल पम्प के पास पप्पू कालौनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष
 - I. मु0अ0सं0 2006/21 धारा 401 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
 - II. मु0अ0सं0 2008/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
- 3. मौ० हुसैन पुत्र जाकिर नि० गली न० 3 पप्पू कालौनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष ।.मु०अ०सं० २००६/२१ धारा ४०१ भादिव थाना साहिबाबाद गाजियाबाद । ॥.मु०अ०सं० २००९/२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री ईमाम जैदी
- 2- है0का0 311 राजेश कुमार
- 3- का० 833 किरनपाल राठी
- 4- का0879 अजय कुमार

बरामदगी का विवरणः

03 अदद चाकू नाजायज बरामद होना

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 48 पव्वे देशी शराब क्रेजी रोमियो मय एक अदद चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 02.10.21 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी हनी को 48 पव्ये देशी शराब नाजायज क्रेजी रोमियो मय 01 अदद चाकू के साथ आर्मी ग्राउण्ड के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

- 1- हनी पुत्र चन्द्रप्रकाश, नि0 गली नं0 2, नियर सब्जी मण्डी, सैक्टर 09, थाना विजयनगर,गाजियाबाद ***पंजीकृत अभियोग का विवरण***
- 1- मु.अ.स. 1334/21 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 2- मु.अ.स. 1335/21 धारा 4/25 A. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद
- *बरामदगी का विवरण*
- 1. 48 पव्वे देशी शराब अरूणाचल प्रदेश
- 2. एक अदद चाकू
- *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम*
- 1-SHO श्री योगेन्द्र मलिक
- 2-SI श्री अरुण कुमार
- 3-SI श्री राममेहर सिंह मलिक
- 4-है0कां0 1486 शशिकान्त शर्मा
- 5-कां0 2056 दीपक कुमार



<mark>थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर मय 03 अदद मोबाइल एन्ड्रायड स0 अ0सं0 1324/21 धारा 380/411 IPC व</mark> 03 अदद नाजायज चाकू के गिरफ्तार किये गये

श्रीमान विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 01.10.2021 को चैकिंग के दौरान 03 शातिर चोर 1. अमित 2. जसविन्दर 3. सचिन को बसंत वैली सोसायटी के पास से मय चोरी के 03 अदद मोबाइल एन्ड्रायड स0अ0सं0 1324/21 धारा 380/411 IPC व 03 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1.अमित पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी गली नं0 5 बुद्धविहार बहरामपुर, थाना विजयनगर, गा.बाद
- 2- जसविन्दर पुत्र सतीश निवासी भावरस देवरस कालोनी प्रताप विहार थाना विजयनगर गा0बाद
- 3- सचिन कुमार पुत्र धर्मवीर निवासी भूडिया थाना दातागंज बंदायू हाल रिव के किराये के मकान में बुद्ध विहार बहरामपुर गा0बाद बरामदगी का विवरण
- 1. एक मोबाइल एन्ड्रायड सैमसंग कम्पनी का IMEI नं0 351666443554939 व II 4935
- 2. एक अदद मोबाइल टैक्नो स्पारक कम्पनी का IMEI नं0 355999190000327 व II 0335
- 3. एक अदद मोबाइल MI गोल्डन कलर IMEI नं0 868434047479383 व II 9391
- 4. 03 अदद चाकू नाजयाज (अभि0गण अमित, जसविन्दर व सचिन से)

गिरफतार अभि0गण का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0स0 1324/21 धारा 380,411 भादिव बनाम अमित, जसिवन्दर व सिचन उपरोक्त
- 2-मु0अ0सं0 1326/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना विजयनगर गा0बाद बनाम अमित
- 3-मु0अ0सं0 1327/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना विजयनगर गा0बाद बनाम जसिवन्दर
- 4-मु0अ0सं0 1328/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना विजयनगर गा0बाद बनाम सचिन

गिरफतार/सहयोग करने वाली पुलिस टीम

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री योगेन्द्र मलिक
- 2-30नि0 श्री महक सिंह
- 3-है0कां0 1176 सुशील कुमार
- 4-का0 1315 कैलाश शर्मा
- 5-का0 1756 सौरभ कुमार



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए 03 अभियुक्तों को मय एक आरी एक सब्बल एक पेचकस 05 टूटे ताले एक चाबी का गुच्छा तथा 01 तमंचा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद चाकू नाजायज के गिरफ्तार किया गया

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 01/10/21 को चैिकंग के दौरान तीन शांतिर अभियुक्तगण 1. बन्टी 2. इन्द्रजीत 3. गंगाशरण को चोरी की योजना बनाते हुए थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक आरी एक सब्बल एक पेचकस 05 टूटे ताले एक चाबी का गुच्छा तथा 01 तमंचा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया। *नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*

- 1- बन्टी पुत्र नेम सिंह नि. सुदामापुरी गली नं. 3 थाना विजयनगर, गा.बाद
- 2- इन्द्रजीत पुत्र नैन सिंह नि. D 137 सुदामापुरी विजयनगर थाना विजयनगर गा0बाद
- 3- गंगाशरण पुत्र लेखराज नि0 सुदामापुरी गली नं0 3 मकान 189 थाना विजय नगर गा0बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

- 1.मु0अ0सं0 1329/21 धारा 401 भादवि बनाम बन्टी, इन्द्रजीत व गंगाशरण उपरोक्त
- 2.मु0अ0सं0 1330/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम बन्टी उपरोक्त
- 3.मु0अ0सं0 1331/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम इन्द्रजीत उपरोक्त
- 4.मु0अ0सं0 1332/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम गंगाशरण उपरोक्त

बरामदगी का विवरण

- 1. एक आरी एक सब्बल एक पेचकस 05 टूटे ताले एक चाबी का गुच्छा
- 2. 01 तमंचा 315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3. 02 अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तारी/सहयोग करने वाली पुलिस टीम

- 1-SHO श्री योगेन्द्र मलिक
- 2-उ0नि0 अंकित चौहान
- 3-उ0नि0 भुवनेश कुमार
- 4-है0कां0 1171 कृष्णपाल
- 5-कां0 3743 तेजवीर



श्रीमान विरष्ट पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शांतिर अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 02.10.2021 को चैकिंग के दौरान एक शांतिर अपराधी दीपक को 01 अदद चाकू के साथ विच्छल गेट के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

- *नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*
- 2- दीपक पुत्र सीताराम, नि0 चमेली का मकान, माता कालोनी, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गा.बाद ***पंजीकृत अभियोग का विवरण***
- 1- मु.अ.स. 1336/21 धारा 4/25 A. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद *बरामदगी का विवरण*
- 1. एक अदद चाकू
- *गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम*
- 1-SHO श्री योगेन्द्र मलिक
- 2-SI श्री अंगद सिंह
- 3-कां0 1202 इमरान
- 4-कां0 2057 गौरव कुमार



<mark>थाना टीलामोड़ की पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर हत्या से सम्बन्धित दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार</mark>

श्रीमान पुलिस विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा दिनांक 02.10.2021 को मु0अ0स0 429/21 धारा 364/34/302/201 भादिव से सम्बन्धित अभि0गण बिल्लू उर्फ विपिन पान्डेय, राजन को ओक्सी होमस से आगे भोपुरा की तरफ से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 2/8/2021 को किशन पुत्र करतार सिंह िन0 हर्ष विहार दिल्ली को किशन के दोस्त गजेन्द्र पुत्र टीकम, राहुल उर्फ गोरिल्ला पुत्र अनिल, बिल्लू पुत्र मुन्ना, राजन पुत्र गणपत नि0गण हर्ष विहार दिल्ली बहकाकर उसको उसके घर से ईको कार मे ले जाने के उपरान्त जब दिनांक 2/8/2021 की रात्रि तक किशन घर पर नहीं लौटा तो उसके भाई भवानी शंकर पुत्र करतार सिंह नि0 हर्ष विहार दिल्ली द्वारा किशन के दौस्तों के घर पर जाकर जानकारी करने का प्रयास किया तो किशन के दौस्तों के घर पर ना मिलने के कारण व मौहल्ले के विकास नामक व्यक्ति द्वारा दिनांक 4/8/2021 को किशन के भाई को जानकारी दी गयी की उसने हर्ष विहार निवासी गजेन्द्र, राहुल गोरिल्ला, बिल्लू, राजन को ओक्सी होम्ज के पीछे खाली प्लाट में किशन के साथ मारपीट कर गाडी में डालकर ले जाते समय देखना बताया जाने पर दिनांक 4/8/2021 को किशन के भाई भवानी शंकर द्वारा थाना टीला मोड़ पर आकर राहुल गोरिल्ला, राजन, गजेन्द्र, बिल्लू के विरूद्ध अपने भाई किशन के अपहरण करने के सम्बन्ध में तहरीर प्रेषित की गयी जिस पर तत्काल मु0अ0स0 429/21 धारा 364/34 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर थाना टीला मोड़ थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीमे गठित कर अपहत व अभियुक्तों की तलाश में लगाई गई जिसमे दिनांक 5/8/2021 को हिन्डन फ्लाई ओवर भनेडा के पास से मुकदमा उपरोक्त की घटना से सम्बन्ध्य 2 नफर अभि0 गजेन्द्र पुत्र टीकम व राहुल गोरिल्ला पुत्र अनिल नि0गण हर्ष विहार को घटना में प्रयुक्त ईको कार के साथ दिन में 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया था तथा आज दिनाक 2/10/2021 को मुकदमा उपरोक्त में वाछित अभियुक्त बिल्लू उर्फ विपिन

पाण्डेय व राजन उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर ओक्सी होम के पास से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किय गया जिनसे सख्ती से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तो द्वारा जानकारी दी गयी कि पूर्व मे 7-8 वर्ष पहले किशन व राहुल गोरिल्ला, राजन, बिल्लू चारो ने मिलकर कन्नू नामक व्यक्ति की हत्या की थी जिसके मामले मे वो थाना साहिबाबाद से जेल गये थे और उसी दौरान जेल मे उनकी मुलाकात मुकीम पुर निवासी अभियुक्त गजेन्द्र से हुई थी। किशन द्वारा राहुल गोरिल्ला की मा के साथ बदतमीजी करने के कारण राहुल ने अपने साथी गजेन्द्र,बिल्लू उर्फ विपिन पाण्डेय व राजन के साथ मिलकर किशन को रास्ते से हटाने के लिये उसको दिनांक 2/8/2021 को बहकाकर घर से वकील से मिलने के बहाने ले जाकर उसको गगन विहार दिल्ली क्षेत्र मे शराब पिलाकर ओक्सी होम्ज के पीछे ले जाकर उसकी हत्या करके उसके शव को मुकीम पुर के जंगल मे छिपाने की बात बतायी गयी है। जिस पर अभियुक्त गजेन्द्र व राहुल की गिरफ्तारी के समय उनकी निशा देही पर मुकदमे से सम्बन्धित अपहर्त किशन के शव को अभि0 गजेन्द्र के मूल गाव मुकीमपुर के जंगल मे ज्वार के खेत थाना भौजपुर क्षेत्र से बरामद किया गया व अभियुक्तो की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त आला कल्ल इन्डो व फावड़ा को हिन्डन नदी के किनारे से बरामद पूर्व मे ही कर लिया गया है मुकदमा उपरोक्त मे वाछित चल रहे अभियुक्तो बिल्लू उर्फ विपिन पाण्डेय व राजन को आज गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 364/302/201/34 भादिव मे वैधानिक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1. बिल्लू उर्फ विपिन पान्डेय पुत्र मुन्ना लाल नि0 ए02/338 निकट शिवानी डेयरी हर्ष विहार दिल्ली
- 2. राजन पुत्र गणपत राय नि0 बी-2/281 गली न0-16 हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली

बरामदगी का विवरण -

निल

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0 सं0 429/21 धारा 364/34/302/201 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. प्र0नि0 श्री महावीर सिहं, थाना टीला मोड गा0बाद
- 2. का० 1005 निशान्त, थाना टीला मोड़ गा0बाद
- 3. का0 3802 भूपेन्द्र, थाना टीला मोड गा0बाद



(थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर व जिला बदर अभियुक्त को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया)

श्रीमान विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी किवनगर के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा चैिकंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हिस्ट्रीशीटर व थाना किवनगर से दिनांक 25.06.2021 को जिला बदर अभियुक्त को एएलटी तिराहा बस स्टैण्ड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जिसके कब्जे से मु0अ0सं0 558/21 धारा 380 भादिव से सम्बंधित माल मय एक अदद नाजायज तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

नाम पता अभियुक्त -

(1) सोनू उर्फ पेडू पुत्र वीर सिंह उर्फ वीरू नि0 रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1. मु0अ0सं0 1967/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कविनगर

- 2. मु0अ0सं0 330/19 धारा 457,380 भादवि थाना कविनगर
- **3.** मु0अ0सं0 1759/ धारा 18 धारा 380,411 भादवि थाना कविनगर
- **4.** मु0अ0सं0 2190/18 धारा 379,411 भादवि थाना कविनगर
- 5. मु0अ0सं0 556/21 धारा 380 भादवि थाना मधुबन बापूधाम
- 6. मु0अ0सं0 557/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन बापूधाम
- 7. मु0अ0सं0 558/21 धारा 10 उ०प्र0 गुंडा निवारण अधि0 थाना मधुबन बापूधाम

बरामदगी

- 1. 1 अदद तमंचा 315 बोर
- 2. 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3. एक अदद मोबाइल सैमसंग (सम्बंधित मु0अ0सं0 556/21 धारा 380,411 भादिव)
- 4. 1000 रूपये नगद (सम्बंधित मु0अ0सं0 556/21 धारा 380,411 भादिव)

अपराध करने का तरीका

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै अवैध शराब बेचकर व मोबाइल व घरो मे चोरी करके मिले सामान को बेचकर जो पैसे मिलते थे उनको अपनी मौज मस्ती मे खर्च कर देता हूँ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. उ0नि0 रतन सिंह
- 2. हे0कां0 भूषण सिंह
- 3. कां0 रामवीर सिंह



<u>लोनी पुलिस द्वारा पशु (भैंस) काटकर मांस बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

श्री पवन कुमार विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा पशु (भैस) काटकर मांस बिक्री करने वाला 01 अभि0 असलम S/O मुस्ताक निवासी जमालपुरा थाना लोनी गाजियाबाद को 2.5 कुन्तल पशु (भैंस) मांस व काटने वाले यन्त्रो सिहत शहजाद की डेरी वाली गली मे तालाव के किनारे महमूद का मकान चौकी क्षेत्र अशोकविहार से दिनांक 01.10.2021 समय 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभि0-

असलम S/O मुस्ताक निवासी जमालपुरा थाना लोनी गाजियाबाद

<u>आपराधिक विवरणः</u>-

मु0अ0सं0-1406/2021 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

- 1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
- 2. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह चौकी प्रभारी अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद
- 3. उ०नि० यशवीर सिंह
- है0का0 1381 नीरज
- 5. का0 53 रविन्दर सिंह

बरामदगी का विवरणः

2.5 कुन्तल पशु (भैंस) मांस व काटने वाला यन्त्र ।

<u>थाना लोनी पुलिस द्वारा शराब तरूकरी करने वाला 01 अभियुक्त 48 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार</u>

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र रतनलाल झा निवासी 329 गली नं0 25 खजूरी खास पूर्वोत्तर दिल्ली को 48 पव्ये देशी शराब हरियाणा मार्का सहित पुस्ता रोड महाकालेशवर मंदिर के पास हल्का चौकी डीएलएफ से दिनांक 02.10.2021 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

विशाल कुमार पुत्र रतनलाल झा निवासी 329 गली नं0 25 खजूरी खास पूर्वोत्तर दिल्ली

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0-1407/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

- 1. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
- 2. उ0नि0 दिनेश पाल सिंह चौकी प्रभारी डीएलएफ थाना लोनी गा0बाद
- 3. उप नि0 सचिन कुमार
- 4. का0 2989 नितिन
- 5. का0 2168 पवन शर्मा

बरामदगी का विवरणः-

48 पव्वे हरियाणा मार्का देशी शराब।



थाना लोनी पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त 45 अदद अध्धे व 09 पव्वे देशी शराव तथा 26 अदद पव्वे व 12 अदद बोतल अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर अवैध शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त संजय सेठ पुत्र हुकम चन्द निवासी सालेहनगर थाना लोनी गा0बाद को 45 अदद अध्धे व 09 पव्वे देशी शराव तथा 26 अदद पव्वे व 12 अदद बोतल अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का सहित संजय सेठ के मकान ग्राम सालेह नगर हल्का चौकी डाबर तालाब से दिनांक 02.10.2021 समय 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

संजय सेठ पुत्र हुकम चन्द निवासी सालेहनगर थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0-1409/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

- 6. SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
- आबकारी निरीक्षक सीलम मिश्रा सै0-3 गा0बाद
- 8. आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डे सै0-4 गा0बाद
- 9. आबकारी निरीक्षक अखिलेश विहारी वर्मा सै0-1 गा0बाद
- 10. उ0नि0 अमित शर्मा चौकी प्रभारी डाबर तालाब थाना लोनी गा0बाद
- 11. है0का0 209 अनिल कुमार
- 12. आबकारी है0का0 बलवीर सिंह
- 13. आबकारी है0का0 निसार खाँ

बरामदगी का विवरण:-

45 अदद अध्धे व 09 पव्वे देशी शराव तथा 26 अदद पव्वे व 12 अदद बोतल अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का ।



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मृतक राहुल के शव के साथ उपद्रवियो द्वारा किये गये अमानवीय व्यवहार एंव कार्यसरकार मे बाधा डालने वाले 10 नफर अभियुक्तगण को जुर्म धारा 332/353/504/506/147/188/269/297 भादवि0 व 7 सी एल ए एक्ट मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना।

आज दिनांक 2.10.21 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 .630/21..धारा 307/352/323/325/506/326 भादवि0 व 3(2)5.एसी/एसटी एक्ट . उक्त अभियोग के वादी/मजरुब राहुल उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र खुशीराम नि0 गली न0 10 संगम विहार थाना लोनी बोर्डर जिला गाजियाबाद की कल दिनांक 01.10.21 को अपने मसकन पर मृत्यू हो गयी थी जिसके शव को वास्ते पोस्टमार्टम बाद मुर्तिव पंचायतनामा के जिला चिकित्साल्य गाजियाबाद भेजा गया था जिसका शब बाद पोस्टमार्टम आज दिनांक 2.10.21 को मृतक के परिजनो द्वारा आर्थिक सहायता की मांग कर शव को इन्द्रापुरी चौकी के सामने नालारोड शिव चौक पर सडक के किनारे श्री बीर सिंह जाटव जिला अध्यक्ष बसपा जिला गा0बाद की अगुवाई में तिराहे पर रखकर मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु जायज मांग कर रहे है मांगो की पुर्ति के लिए मौके पर क्षेत्राधिकारी लोनी तथा तहसीलदार तथा कानूनगो तथा प्रभारी निरीक्षक लोनी बोर्डर मय पुलिसबल के मौके पर आ गये , मौके पर मौजूद तहसीलदार लोनी द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता का आशवासन देते हुए शव के अन्तिम क्रियाक्रम हेतु कहा गया तो मृतक के परिजन सन्तुष्ट होकर शव को लेकर अन्तिम क्रियाक्रम हेतु शमशानघाट को चल दिये थे कि तभी थोडी दूर चलने पर कुछ व्यक्ति जो अपने आप को भीम आर्मी पार्टी का सदस्य बता रहे थे के द्वारा मृतक के परिजनों को जबरजस्ती रोककर शब के साथ खींचातानी कर अमानवीय व्यहार करने लगे जिसका विरोध मौके पर मौजूद पुलिसबल तथा मृतक के परिजनो एंव जनता के व्यक्तियो द्वारा किया गया तो भीम आर्मी के सदस्य उपरोक्त भड़क गये और मौके पर मौजूद पुलिस बल एंव जनता के व्यक्तियों से धक्का मुक्की करते हुये गाली गजौच देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे तथा पुलिस बल पर हमलाबर हो गये जिससे शब यात्रा मे शामिल व्यक्तियो मे भगदड मच गयी लोग अपने जुते चप्पल छोडकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे अफरातफरी मच गयी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सटर गिरा लिए मौके पर लोक शान्ति व्यवस्था भंग हो गयी जिसके फलस्वरुप सभी 10उपद्रवियो/अभियुक्तगण को समय करीब 13.00

बजे नाला रोड शिव चौक से 100 मी0 अन्दर गली में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम की गयी

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1-. भुपेन्द्र कुमार पुत्र इश्म सिंह नि0 म0न0 456 सैक्टर न0 2 प्रताप विहार थाना विजयनगर गा0बाद उम्र 41 वर्ष 2 आशिक पुत्र जफरु म0न0 129 खुवाजा गरीब मस्जिद पावी थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद 25 वर्ष
- 3.कपिल वेदी पुत्र राजपाल बेदी नि0 पटेलनगर -3 गा0बाद थाना सिहानीगेट उम्र 29
- 4.. सुशान्त कुमार पुत्र कतार सिंह नि0 म0न0 162 जटवारा थाना सिहानीगेट गा0बाद उम्र 30 वर्ष
- 5. अंकित पुत्र गौरव राठी नि0 म0न0 2 जटवारा थाना सिहानीगेट गा0बाद
- 6.अमित पुत्र राजकुमार नि0 एफ -18 पप्पू कालोनी गली न0 6 थाना साहिबाबाद गा0बाद
- 7.राहुल पुत्र कमल नि0 म0न0 681 संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 28 वर्ष
- 8. पवन पुत्र राजवीर नि0पप्पू कालोनी गली न0 7 साहिबाबाद गा0बाद उम्र 35 वर्ष
- 9.सुनील पुत्र जगदीश नि0 म0 न0 70पप्पु कालोनी गली न0 7 थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 42 वर्ष
- 10.मो0 आजाद पुत्र मौ0 अन्जूर नि0 म0 न0 1051 गली न0 7 अर्थला थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र कुमार त्यागी थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 2.उ0नि0 ब्रजिकशोर गौतम थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 3.उ0नि0 सौरभ कुमार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 4.उ0नि0 शीलचन्द थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 5.हे0का0 246 जितेन्द्र थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 6.हे0का0 1315 कृष्णपाल थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 7.का0 2651 संजीब कुमार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 8.का0हेमन्त गौतम थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 9.का0 166 कपिल कुमार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 10.का0 3777 सोमपाल थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद
- 11.का0 3778 पवन कुमार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में हुई मोटरसाईकिल चोरी का 24 घण्टे में सफल अनावरण कर दो मोटरसाईकिल चोरो को गिरफ्तार कर मोटरसाईकिल बरामद करना।

श्रीमान् विरष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर की पुलिस टीम दिनांक 01.10.21 को थाना पर पंजीकृत मु0अ0स0 879/21 धारा 379 भादिव में चोरी गयी मोटरसाईिकल की तलाश में राहुल गार्डन चौराहे पर बैरियर लगाकर चैकिंग कर रही थी,तभी चैकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाईिकल पर सवार होकर आ रहे थे जिन्हे पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो दोनो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर समय करीब 16.00 बजे सेवाधाम चौराहे पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूँछा गया तो उन्होंने अपना नाम 1.अंकित पुत्र राजेश कुमार नि0 कुम्हार कालोनी गोविन्द टाऊन गली न0 1 थाना लोनी बार्डर गा0बाद 2. बंटी पुत्र शंकर पाल नि0 शंकरपाल नि0 शक्ति गार्डन कुम्हार कालोनी गली न0 2 थाना लोनी बार्डर गा0बाद बताया तथा बरामद मोटरसाईिकल स्पलैन्डर को चैक किया गया तो उक्त मोटरसाईिकल स्पलैन्डर न0 DL5SAS5792 थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 879/21 धारा 379 भादिव में चोरी की होना पाया गया। थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर ही वाहन चोरी का सफल अनावरण कर गिरफ्तार वाहन चोरों को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

- 1-.अंकित पुत्र राजेश कुमार नि0 कुम्हार कालोनी गोविन्द टाऊन गली न0 1 थाना लोनी बार्डर गा0बाद उम्र करीब 25 वर्ष
- 2. बंटी पुत्र शंकर पाल नि0 शंकरपाल नि0 शक्ति गार्डन कुम्हार कालोनी गली न0 2 थाना लोनी बार्डर गा0बाद उम्र करीब 19 वर्ष

अभियुक्तगण अंकित व बंटी का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 879/2021 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

अभियुक्तगण से बरामद मोटरसाईकिल का विवरण-

एक अदद मोटरसाईकिल स्पलैन्डर रजि न0 DL5SAS5792, इंजन न0 HA10ERGHD63180 व चेसिंस न0 MBLHA10CGGHD62951 सम्बन्धित मु030स0 879/21 धारा 379 भादवि

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

- 1-उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 2-है0का0 621 सुशील कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।
- 3-का० २६२५ अनुज कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

